यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2019–22/52/2020 **दिनांक :** 29.03.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

हम एआईबीईए के महामंत्री साथी सी.एच. वेंकटचलम् द्वारा श्री देवाशीष पांडा, सचिव, वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को लिखे गए पत्र संख्या एआईबीईए/जीएस/2020/35 दिनांक 27.3.2020 का अनूदित सार सभी इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रति
श्री देवाशीष पांडा,
सचिव,
वित्तीय सेवायें विभाग,
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

प्रिय महोदय,

ऑल इंडिया बैंक इम्प्लाईज एसोसिएशन की ओर से, हम आपके उचित विचार और सकारात्मक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को आपके ध्यान में लाना चाहते हैं।

जब से कोरोना महामारी का प्रकोप हुआ है, तब से लोगों की आवाजाही पर बहुत अधिक प्रतिबंध हैं और इसमें शामिल खतरे की गंभीरता को देखते हुए, हम इन प्रतिबंधों से सहमत हैं और पूरी तरह से स्वागत करते हैं। स्पष्टतः 'सामाजिक दूरी' मुख्य उद्देश्य है और संक्रमण के प्रसार से बचने के लिए कोई अन्य तत्काल प्रतिक्रिया नहीं हो सकती।

हमारे प्रधानमंत्री की घोषणा के साथ, 24 मार्च की रात से, पूर्ण और राष्ट्र–स्तरीय लॉकडाउन है और कई राज्यों में, सामान्य लॉकडाउन के अलावा, प्रतिबंध जैसे कि धारा 144, कर्फ्यू, आदि हैं। इसके परिणामस्वरूप रेल और अन्य परिवहन सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कई बैंक कर्मचारी जो इन सार्वजनिक परिवहनों से अपनी शाखाओं और कार्यालयों में आ रहे हैं, वे दरअसल अब अपने कार्यालय में उपस्थित होने में असहाय हैं। केवल वे जिनके पास निजी वाहन हैं या जो अपनी शाखाओं के समीपवर्ती इलाके में रहते हैं, वे शाखाओं में आने में सक्षम हैं।

इस पृष्ठभूमि में, कई कर्मचारी बैंक में आने के अपने श्रेष्ठ इरादे के बावजूद, कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। बैंकिंग कारोबार के समय को 4 घंटे तक सीमित करना, वैकल्पिक दिन की उपस्थिति और घर से काम करने

जारी पृष्ठ 2

की सुविधा, आदि किसी भी तरह इन प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रबंध करने में बैंकों और कर्मचारियों के लिए सहायक हैं।

यहां तक कि जहां बैंक शाखायें उपर्युक्त के अनुसार काम कर रही हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं, जहां उत्सुक ग्राहक एक ही समय पर दर्जनों की संख्या में बैंक परिसर में भीड़ लगा लेते हैं, इस प्रकार कर्मचारियों को संभावित संक्रमण का खतरा होता है। ग्राहक सैनिटाईज्ड नहीं हैं या अन्यथा सुरक्षित नहीं हैं। एक–एक करके शाखा में प्रवेश करने के लिए ग्राहकों को नियंत्रित करने के लिए कोई पुलिसकर्मी, आदि नहीं है। बैंक कर्मचारी पहले से ही इस समस्या से पीड़ित हैं।

संबंधित लक्ष्य समूहों को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत अनेक उपायों को जारी करने की कल सरकार द्वारा की गई घोषणा के परिणामस्वरूप शाखाओं में अचानक और भारी भीड़ होगी, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध–शहरी शाखाओं में। इन शाखाओं में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है और उत्सुक ग्राहकों और बैंकिंग करने वाली जनता को प्रबंधित करना असंभव के बराबर होगा, जब वे बड़ी संख्या में शाखाओं में प्रवेश करेंगे।

बैंक कर्मचारियों के साथ–साथ उन ग्राहकों के लिए भी बड़ा खतरा है जो बड़ी संख्या में बैंक परिसर के अंदर हैं और यह पूरी तरह से सामाजिक दूरी के उद्देश्य के विरूद्ध जायेगा और संक्रमण के खतरे को बढ़ायेगा।

बैंक कर्मचारी बहुत डरे हुए हैं और ऐसी आसन्न संभावना और घटना के बारे में अत्यधिक भयभीत महसूस करते हैं।

इसलिए, जबकि सरकारी योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन को पूरा करने की आवश्यकता है, हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि यह तभी संभव है

1. **बैंक प्रबंधन शाखाओं में पहुंचने के लिए कर्मचारियों के लिए आवश्यक परिवहन सुनिश्चित करे जहां कि उनके पास अपने स्वयं के वाहन नहीं हैं;**

2. **ग्राहकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और उन्हें एक–एक करके परिसर में आने की अनुमति देने के लिए शाखाओं के सामने पुलिस/सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करायें जायें;**

3. **ऐसे ग्राहकों को परिसर में प्रवेश करने से पहले उचित सैनिटाइजिंग लिक्विड आदि, प्रदान किया जाये;**

4. **बैंक प्रबंधन भुगतान के दिनों में ऐसी शाखाओं में प्रतिनियुक्ति पर अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध कराये; और**

5. **लाभार्थी बिखरे हुए हैं और उन्हें एक ही दिन शाखाओं में आने की अनुमति नहीं दी जाये।**

हमें विश्वास है कि सरकार और आईबीए/बैंक प्रबंधन उपरोक्त को ध्यान में रखेंगे और उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि कर्मचारी अपना सर्वश्रेष्ठ सहयोग दे सकें और हम औद्योगिक विवादों, संघर्षों और तनावों को टाल सकें। कृपया इसे अहम रूप में और प्राथमिकता पर लें।

सधन्यवाद,

आपका विश्वासपात्र,

ह...

सी.एच. वेंकटचलम्

महामंत्री

प्रतिलिपि : चेयरमैन, आईबीए तथा सभी बैंकों के प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिरियों हेतु